बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0–10/अ0प्र0–8–06/20 98 पटना, दिनांक 24.2.25

आगामी विधान मंडलीय सत्र दिनांक–28.02.2025 से आहूत होने की सूचना संसूचित है। सत्र के दौरान विधान परिषद्/विधान सभा में पूछे जाने वाले तारांकित/अल्पसूचित /ध्यानाकर्षण / गैर सरकारी संकल्पों एवं अन्य प्रश्नों का उत्तर सरकार के द्वारा ससमय सदन पटल पर रखा जाना है। साथ ही अन्य विधान मंडलीय कार्य भी किया जाना है। कार्य की महत्ता को देखते हुए निदेशानुसार सभी मुख्य अभियंता/संबंधित पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग अपने–अपने प्रक्षेत्रों से संबंधित तारांकित / अल्पसूचित/ध्यानाकर्षण/गैर सरकारी संकल्पों एवं अन्य प्रश्नों का उत्तर ससमय तैयार कर अधोहस्ताक्षरी एवं योजनाओं के नोडल पदाधिकारी के साथ माननीय मंत्री से समीक्षा करायेगें।

निगरानी (मुख्यालय) एवं बजट से संबंधित विधानमंडलीय प्रश्न विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के दिशा–निर्देश में तैयार की जायेगी। साथ ही माननीय विभागीय मंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री आदि के बजट अभिभाषण विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्य अभियंता–निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग के सहयोग से तैयार की जायेगी।

उक्त प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/24/2/25
(आदित्य प्रकाश)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 10/अ0प्र0–8–06/20 2162 पटना, दिनांक 24.2.25

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/ अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी (तकनीकी) /प्रशासक ब्राडा/सभी योजनाओं के नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग/उप सचिव के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग एवं सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/24/2/25
सरकार के अवर सचिव